

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ।

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के वितरण लाईसेन्सधारियों यथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी द्वारा वर्ष 2017-18 का ट्रू-अप, वर्ष 2018-19 का ए०पी०आर० एवं वर्ष 2019-20 का सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दिनांक 11.03.2019 को तथा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 का टैरिफ प्रस्ताव दिनांक 13.06.2019 को मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग को प्रस्तुत किया गया। मा० आयोग द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 01.07.2019 को स्वीकार करने के उपरान्त दिनांक 03.09.2019 को वित्तीय वर्ष 2017-18 का ट्रू-अप, वर्ष 2018-19 का ए०पी०आर० एवं वर्ष 2019-20 का सकल राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ के अनुमोदन के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

मा० आयोग द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लागू टैरिफ निम्नवत सूचित किये जाते हैं :-

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि०व० (2019-20)
एल०एम०वी०-1	घरेलू बत्ती, पंखा	
	क-ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 3.00 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन	
	सभी भार	रु० 500 प्रति कि०वा० प्रति माह
	(3) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 90 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 3.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 3.85 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.00 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.50 प्रति यूनिट
	500 यूनिट/माह से अधिक	रु० 6.00 प्रति यूनिट
	ख-सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 7.00 प्रति यूनिट
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन	
	(1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 3.00 प्रति यूनिट
	(2) अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.00 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.50 प्रति यूनिट
	500 यूनिट/प्रति माह से अधिक	रु० 7.00 प्रति यूनिट

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि०वा० (2019-20)	
एल०एम०वी०-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा		
	क-ग्रामीण आपूर्ति		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 1000 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज	रु० 5.50 प्रति यूनिट	
ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स	मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	-	
	इनर्जी चार्ज	रु० 18.00 प्रति यूनिट	
	न्यूनतम चार्ज	रु० 1800 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज		
	2 कि०वा० तक	रु० 330 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	2 से 4 कि०वा० तक	रु० 390 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	4 कि०वा० से अधिक	रु० 450 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज		
	प्रथम 300 यूनिट/माह	रु० 7.50 प्रति यूनिट	
	300 से 1000 यूनिट/माह	रु० 8.40 प्रति यूनिट	
	1000 यूनिट/माह से अधिक	रु० 8.75 प्रति यूनिट	
	न्यूनतम चार्ज	रु० 600/कि०वा०/माह (अप्रैल से सितम्बर) रु० 475/कि०वा०/माह (अक्टूबर से मार्च)	
	एल०एम०वी०-3	सार्वजनिक प्रकाश	
	(1) मीटर रहित संयोजन		
ग्राम पंचायत	रु० 2100 प्रति कि०वा० या भाग पर प्रति माह		
नगर पालिका/नगर पंचायत	रु० 3200 प्रति कि०वा० या भाग पर प्रति माह		
नगर निगम	रु० 4200 प्रति कि०वा० या भाग पर प्रति माह		
(2) मीटर सहित संयोजन			
फिक्स्ड चार्ज			
ग्राम पंचायत	रु० 200 प्रति कि०वा० प्रति माह		
नगर पालिका/नगर पंचायत	रु० 250 प्रति कि०वा० प्रति माह		
नगर निगम	रु० 250 प्रति कि०वा० प्रति माह		
इनर्जी चार्ज			
ग्राम पंचायत	रु० 7.50 प्रति यूनिट		
नगर पालिका/नगर पंचायत	रु० 8.00 प्रति यूनिट		
नगर निगम	रु० 8.50 प्रति यूनिट		
टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)			
18:00 से 06:00 बजे तक	0%		
06:00 से 18:00 बजे तक	(+)20%		

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि०व० (2019-20)	
एल०एम०वी०-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ		
	अ-सार्वजनिक संस्थाएँ		
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 300 प्रति कि०वा०प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज		
	प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रु० 8.25 प्रति यूनिट	
	1001-2000 यूनिट प्रति माह	रु० 8.50 प्रति यूनिट	
	2000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रु० 8.75 प्रति यूनिट	
	ब-निजी संस्थाएँ		
	फिक्स्ड चार्ज		
	3 कि०वा० तक	रु० 350 प्रति कि०वा०प्रति माह	
	3 कि०वा० से अधिक	रु० 400 प्रति कि०वा०प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज		
	प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रु० 9.00 प्रति यूनिट	
	1000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रु० 9.30 प्रति यूनिट	
एल०एम०वी०-5	निजी नलकूप		
	क-ग्रामीण आपूर्ति		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 170 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज	रु० 2.00 प्रति यूनिट	
	न्यूनतम चार्ज	रु० 160 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	
	(3) इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प		
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज	रु० 1.65 प्रति यूनिट	
	न्यूनतम चार्ज	रु० 140 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	
	ख-शहरी आपूर्ति		
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 130 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	
	इनर्जी चार्ज	रु० 6.00 प्रति यूनिट	
	न्यूनतम चार्ज	रु० 215 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह	
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा मे स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नही हो जाता है, न्यूनतम राशि रु० 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।		

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि०व० (2019-20)
एल०एम०वी०-6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
	क-शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 290 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	1000 यूनिट/माह तक	रु० 7.30 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	2000 यूनिट/माह तक	रु० 7.40 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	2000 यूनिट/माह से अधिक	रु० 7.90 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
	ख-ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी०ओ०डी० दर लागू नहीं होगी।
एल०एम०वी०-7	जलकल	
	क-शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 375 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 8.60 प्रति यूनिट
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।
एल०एम०वी०-8	राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनल	
	(1) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 330 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 8.50 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 3300 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि०व० (2019-20)
एल०एम०वी०-9	अस्थायी संयोजन	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज क. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रू० 100 / कि०वा० / दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि०वा० भार के लिए)	रू० 4750 प्रति दिन
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मेलों / त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. भार तक)	रू० 560 प्रति दिन प्रति दुकान
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	रू० 500 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यक्तिगत आवासीय निर्माण हेतु	
	फिक्स्ड चार्ज	रू० 200 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू० 8.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	(2) अन्य	
	फिक्स्ड चार्ज	रू० 300 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू० 9.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	रू० 450 प्रति कि०वा० / सप्ताह
एल०एम०वी०-10	विभागीय उपभोक्ता	
	इस श्रेणी की दरें एल०एम०वी०-1 के अन्य मीटर्ड उपभोक्ताओं की भांति होगी।	
एल०एम०वी०-11	इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्जिंग	
	1. घरेलू उपभोक्ता	
	एल०एम०वी०-1 से आच्छादित सभी मीटर्ड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्ज करने के लिये अनुमन्य होंगे, बर्तते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
	2. बहुमंजिला इमारत (एल०एम०वी०-1बी एवं एच०वी०-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)	
	एल. एम. वी- 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रू० 6.20 प्रति यूनिट
	एच. वी. - 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रू० 5.90 प्रति यूनिट
	3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन	
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल. टी.)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रू० 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एच. टी.)	डिमाण्ड चार्ज-शून्य, इनर्जी चार्ज-रू० 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	4. अन्य उपभोक्ता	
	अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल०एम०वी०-2 (ए) मीटर्ड, एल०एम०वी०-2 (सी), एल०एम०वी०-4, एल०एम०वी०-6, एल०एम०वी०-7, एल०एम०वी०-8 (मीटर्ड), एल०एम०वी०-9(मीटर्ड), एच०वी०-1, (एल०एम०वी०-1बी एवं एच०वी०-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों को छोड़कर) एच०वी०-2, एच०वी०-3 और एच०वी०-4) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, बर्तते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि०व० (2019-20)
एच०वी०-१	उद्योग रहित बल्क लोड	
	(क) वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु० 430 प्रति के.वी.ए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	
	प्रथम 2500 के०वी०ए०एच० / माह	रु० 8.32 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के०वी०ए०एच०/माह से अधिक पर	रु० 8.68 प्रति के.वी.ए.एच
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु० 400 प्रति के.वी.ए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रु० 8.12 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रु० 8.48 प्रति के.वी.ए.एच
	(ख) सार्वजनिक संस्थान हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के. वी. एवं अधिक विभव पर)	
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु० 380/के.वी.ए./माह
	आपूर्ति 11 के.वी. पर इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रु० 7.70 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रु० 7.90 प्रति के.वी.ए.एच
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रु० 360/के.वी.ए./माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रु० 7.50 प्रति के.वी.ए.एच.
	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रु० 7.70 प्रति के.वी.ए.एच.
एच०वी०-२	बड़े एवं भारी उद्योग	
	क-शहरी आपूर्ति	
	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति तक	
	डिमाण्ड चार्ज	रु० 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 7.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु० 290 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 6.80 प्रति के.वी.ए.एच.
	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु० 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 6.40 प्रति के.वी.ए.एच.
	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रु० 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 6.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	टाईम ऑफ द डे	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर बि०ब० (2019-20)
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू बेस रेट पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी०ओ०डी० दर लागू नहीं होगी।
एच०वी०-3	रेलवे ट्रेक्शन	
	(क) रेलवे ट्रेक्शन	
	डिमान्ड चार्ज	
	आपूर्ति 132 के.वी. पर, कम एवं अधिक विभव पर	रु० 400 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक	रु० 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 132 के.वी. से कम	रु० 8.80 प्रति के.वी.ए.एच
	न्यूनतम चार्ज	रु० 950 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	(ख) मेट्रो रेल	
	डिमाण्ड चार्ज	रु० 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 7.30 प्रति के.वी.ए.एच
	न्यूनतम चार्ज	रु० 900 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	संविदा भार से अधिक उपभोग पर रु० 540/के.वी.ए./माह की दर से जुर्माना लिया जायेगा।	
एच०वी०-4	लिफ्ट इरीगेशन	
(क)	डिमान्ड चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु० 350 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु० 340 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु० 330 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु० 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु० 8.40 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु० 8.25 प्रति के.वी.ए.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	रु० 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उक्त दरें एवं चार्ज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से सभी चारो वितरण निगमों एवं केस्को में स्वतः लागू हो जाएगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें एवं चार्ज समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट (www.mvvn.in, www.dvvn.org, www.puvvn.up.nic.in, www.pvvn.org, www.kesco.co.in), उ०प्र० पावर कारपोरेशन तथा उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट क्रमशः (www.uppcl.org & www.uperc.org) पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष

मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को

“राष्ट्रहित में बिजली बचायें”